राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः–नर्सिंग / एनआरएचएम / जीएनएम / 09 / 94 दिनांकः– 28/2/09

एनआरएचएम योजना के तहत व्यक्तिगत अनुबन्ध के आधार पर रखे जाने वाले जीएनएम की चयन सूची

एनआरएचएम योजना के प्रथम चरण में जिले के निवासियों को प्राथमिकता देते हुए जिलेवार वरीयता सूची तैयार कर चयन किया गया था । जिलेवार चयन किए जाने के बिन्दू के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर में एस.बी. सिविल रिट पीटीशन संख्या 741/08 श्री संतलाल यादव व अन्य बनाम सरकार व अन्य दायर की गई । जिस पर माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा दिनांक 8.5.08 को निर्णय पारित करते हुए योजना के प्रथम चरण एवं द्वितीय चरण के प्राप्त आवेदन पत्रों को सम्मिलित करते हुए राज्यस्तरीय वरीयता सूची बनाए जाने के आदेश दिये गए। उक्त आदेश की पालना में दिनांक 12.2.08 को अन्तरिम (प्रोवीजनल) वरीयता सूची जारी की जा कर दिनांक 25.2.09 तक परिवेदनाऐं आमंत्रित की गई थी। प्राप्त परिवेदनाओं का परीक्षण किया जा कर अंतरिम वरीयता सूची में आवश्यक संशोधन कर अंतिम चयन सूची संलग्नानुसार जारी की जाती है ।

इस चयन सूची के वे अभ्यर्थी जो वर्तमान में एनआरएचएम योजना के तहत जिले में अनुबन्ध पर कार्यरत हैं, आगे भी यथावत उसी स्थान पर कार्य करते रहेगें तथा वे नये अभ्यर्थी जो इस चयन सूची में स्थान बनाने में सफल हुऐ हैं, उन्हें जिलों / संस्थाओं का आवंटन किया जा चुका है एवं इन अभ्यर्थियों को संबंधित कार्यालय द्वारा पृथक से बुलावा पत्र जारी किया जावेगा । जिसमें कार्य पर उपस्थित होने की अंतिम तिथि 25.3.09 नियत की गई है ।

अति0 निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राज0 जयपुर